न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख जारी

अपील संख्या 89/18

1. आशाराम
2. चिरंजी
3. तेजराम

पुत्रान भांगला जाति मीना निवासी बडा गांव कहार (धोला भाटा) तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर।

अपी0

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाल्या जाति मीना निवासी बडा गांव कहार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भाडौती।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मलारना डूंगर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर
मु0न0 47/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.18)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की और से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. रेस्पो0 की और से श्री चिरंजीलाल बैरवा

निर्णय दिनांकः 22.03.2021

1. अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मु0न0 47/17 निर्णय दिनांक 22.5.18 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 ने एक वाद पत्र बेदखली एंव स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, इस आशय का पेश किया कि वादी/रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में खाता संख्या नया 88 व खाता संख्या पुराना 75 के ख.नं. 4515, रकबा 0.2600 किस्म चाही–2, वाके ग्राम कहार उर्फ बडा गांव में स्थित है जिसका वादी/रेस्पो0 तन्हा एकमात्र खातेदार व कब्जे काश्त व्यक्ति है। उक्त आराजी वादी/रेस्पो0 की पुस्तैनी आराजी है जिससे उक्त आराजी पर वादी/रेस्पो0 का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है जिस पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत तरीके से अपने लट्ठ के बल पर व राजनैतिक पहुंच होने के कारण नाजायज रूप से उक्त आराजी पर आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है तथा इसी कब्जे की आड लेकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा उक्त आराजी के आधे हिस्से में से लगभग 05–05 फिट गहरी खाई करवाकर मिट्टी बेच दी है। वादी/रेस्पो0 उक्त आराजी का आधा हिस्सा प्रतिवादीगण/अपीलांट के कब्जे में होने से अब तक अनभिज्ञ था। वादी/रेस्पो0 द्वारा दिनांक 13.06.2017 को उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसील हाजा में प्रार्थ[illegible] किया जिसमें तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 08.11.2017 को आदेश क्रमां[illegible]/2017/2615 दिनांक 13.06.2017 की अनुपालना में कहार उर्फ बडा गांव कहार के आराजी ख.नं. 4470, 4471, 4472, 4501, 4502, 4503, 4515 व 4519 का मौके पर [illegible] द्वारा पुलिस जाप्ते के [illegible] सीमाज्ञान किया गया जिसमें ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है0 के हिस्सा 1/2 पर कब्जा प्रतिवादीगण/अपी0 का बताया गया। प्रतिवादीगण/अपी0 के कब्जे में उक्त आराजी स्पष्ट रूप से कब्जे में होना पाया गया तो वादी/रेस्पो0 ने प्रतिवादीगण/अपी0 से कहा कि उक्त आराजी मुझे संभलाओं तो प्रतिवादीगण/अपी0 साफ मुकर गये और कहा कि ये जमीन हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तुम्हें कभी नहीं देंगे तथा इसे हम अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवायेंगे, तब जाकर वादी/रेस्पो0 द्वारा दिनांक 15.11.2017 को जमाबंदी की नकल लेकर व दिनांक 10.11.2017 को मौका रिपोर्ट की नकल लेकर उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। पूर्व में भी जमीन के डोले को लेकर वादी/रेस्पो0 व प्रतिवादीगण/अपी0 के बीच विवाद हुआ था जिसमें पंचो द्वारा दिनांक 24.12.2007 को यह तय किया गया था कि सभी अपनी-अपनी जमीन का सीमाज्ञान करवायेंगे तथा जिसके हिस्से में जिसकी जमीन निकलेगी वह उसे राजी खुशी उसके हक में छोड देगा परन्तु प्रतिवादीगण/अपी0 ने उक्त पंचनामें का आज तक कोई पालन नहीं किया। वादी/रेस्पो0 को उक्त आराजी खाता संख्या 88 में ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है0 किस्म चाही-2 के आधे हिस्से पर से प्रतिवादीगण/अपी0 को बेदखल करवाने का कानूनन अधिकार है जिसे बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा वादी/रेस्पो0 की उक्त खातेदारी की आराजी के आधे हिस्से में से उठाई गई मिट्टी का मुआवजा प्रतिवादीगण/अपी0 से दिलवाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 ने अपीलांट के विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत किया था एवं पत्रावली दिनांक 21.05.2018 को जवाब दावा हेतु नियत थी एवं प्रकरण को अटल सेवा केन्द्र भाडौती में दिनांक 22.05.2018 को नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के बयान लिये बिना ही आर्डरशीट पर ही निर्णय कर दिया। जबकि अपीलांट उपस्थित भी नहीं थे। अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही एक पक्षीय रूप से पारित किया है। विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 4551 रकबा 0.26 है0 पर अपीलांटगण का कदीमी समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। इसी उद्देश्य से रेस्पो0 ने अपीलांटगण को बेदखल किये जाने की इस्तदुआ की थी। अधिनस्थ न्यायालय आदेश प्राकृतिक न्याय के मूल भूत सिद्धान्तों के विपरीत व इल्लीगल, इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 12.07.2018 को होने से अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 25.05.18 अपास्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में खाता संख्या नया 88 व खाता संख्या पुराना 75 के ख.नं. 4515, रकबा 0.2600 किस्म चाही-2, वाके ग्राम कहार उर्फ बडा गांव में स्थित है जिसका रेस्पो0 तन्हा एकमात्र खातेदार व कब्जे काश्त व्यक्ति है। उक्त आराजी रेस्पो0 की पुस्तैनी आराजी है जिससे उ[illegible] पर रेस्पो0 का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है जिस पर प्रतिवादीगण ने अन[illegible] तरीके से अपने लट्ठ के बल पर व राजनैतिक पहुंच होने के कारण नाजायज रूप से उक्त आराजी पर आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है तथा इसी कब्जे की आड लेकर अपी0 द्वारा उक्त आराजी के आधे हिस्से में से लगभग 05-05 फिट गहरी खाई करवाकर मिट्टी बेच दी है। रेस्पो0 उक्त आराजी का आधा हिस्सा अपीलांट के कब्जे में होने से अब तक अनभिज्ञ था। रेस्पो0 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 13.06.2017 को उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसील हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार गलारना डूंगर द्वारा दिनांक 08.11.2017 को आदेश [illegible]मा/एल.आर/2017/2615 दिनांक 13.06.2017 की अनुपालना में कहार उर्फ बडा गांव कहार के आराजी ख.नं. 4470, 4471, 4472, 4501, 4502, 4503, 4515 व 4519 का मौके पर पटवारी हल्का द्वारा पुलिस जाप्ते के साथ सीमाज्ञान किया गया जिसमें ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है0 के हिस्सा 1/2 पर कब्जा अपी0 का बताया गया। अपी0 के कब्जे में उक्त आराजी स्पष्ट रूप से कब्जे में होना पाया गया तो रेस्पो0 ने अपी0 से कहा कि उक्त आराजी मुझे संभलाओं तो अपी0 साफ मुकर गये और कहा कि ये जमीन हम तुम्हें कभी नहीं देंगे तथा इसे हम अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवायेंगे, तब जाकर रेस्पो0 द्वारा दिनांक 15.11.2017 को जमाबंदी की नकल लेकर व दिनांक 10.11.2017 को मौका रिपोर्ट की नकल लेकर उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। पूर्व में भी जमीन के डोले को लेकर रेस्पो0 व अपी0 के बीच विवाद हुआ था जिसमें पंचो द्वारा दिनांक 24.12.2007 को यह तय किया गया था कि सभी अपनी–अपनी जमीन का सीमाज्ञान करवायेंगे तथा जिसके हिस्से में जिसकी जमीन निकलेगी, वह उसे राजी खुशी उसके हक में छोड देगा परन्तु अपी0 ने उक्त पंचनामें का आज तक कोई पालन नहीं किया। रेस्पो0 को उक्त आराजी खाता संख्या 88 में ख.नं. 4515 रकबा 0.2600 है0 किस्म चाही–2 के आधे हिस्से पर से अपी0 को बेदखल करवाने का कानूनी अधिकार है जिसे बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा अपी0 द्वारा रेस्पो0 की उक्त खातेदारी की आराजी के आधे हिस्से में से उठाई गई मिट्टी का मुआवजा अपी0 से दिलवाया जावे। अपीलार्थी का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपील 27.08.2018 को पेश की है। यह मियाद बहार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाये एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. प्रकरण के परीक्षण से तथ्यात्मक [illegible] रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 88 वाके ग्राम कहार [illegible] के अनुसार ख.नं. 4515 रकबा 0.26 है0 जगदीश पुत्र बाल्या [illegible] देह के नाम [illegible] मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.2017 के अनुसार मौके पर ख.नं. 4515 [illegible] 0.13 है0 जगदीश पुत्र बाल्या का कब्जा नहीं है। मौके पर कोई फसल नहीं है। विचारण न्यायालय ने वाद दिनांक 23.11.2017 को दायर किया गया है। दिनांक 19.12.2017 को जवाब प्रतिवादीगण में पत्रावली नियत कर दी गयी। दिनांक 22.05.2018 तक कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 22.

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6.2018 की आर्डर शीट में अभिलिखित है कि "वकील फरीकेन उपस्थित। प्रकरण में 16.01.2018 से अब तक कई अवसर देने के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं किया है तथा जान बूझकर दावे के निर्णय में विलम्ब किया जा रहा है। वकील वादी ने जवाब दावा बंद करते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया है।" अपी0/प्रति0 लम्बी अवधि के पश्चात् भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसकी आधी भूमि पर अपी0 का अतिक्रमण है। इसलिए रेस्पो0 आराजी से अतिक्रमण हटवाने का अधिकारी है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूगंर का मु0नं0 47/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.3.21

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner